एशियाई विकास बैंक की जवाबदेही व्यवस्था

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल हेतु
संचालन प्रक्रिया

5 जून 2004

यह दस्तावेज अंग्रेज़ी संस्करण से अनुवाद किया गया है। इस दस्तावेज़ में कोई कमी अथवा विवाद होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही प्राधिकृत पाठ है।
यह हिन्दी संस्करण अक्तबर 2004 में मद्रित किया गया है।

संक्षेप

ADB	Asian Development Bank	एशियाई विकास बैंक
BCRC	Board Compliance Review Committee	बोर्ड अनुपालन पुनरीक्षा समिति
CRP	Compliance Review Panel	अनुपालन पुनरीक्षा पैनल
DMC	developing member country	विकासशील सदस्य देश
OCRP	Office of the Compliance Review Panel	अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय
OD	operations department	परिचालन विभाग
OM	Operations Manual	परिचालन नियमपुस्तिका
SPF	Special Project Facilitator	विशेष परियोजना फैसिलिटेटर
TOR	Terms of Reference	विचारार्थ विषय

विषय सूची

एक.	**प्रस्तावना**		**1**
	क.	एशियाई विकास बैंक की जवाबदेही व्यवस्था और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल	1
	ख.	संरचना और मूल बातें	1
	ग.	प्रयोजन और कार्यक्षेत्र	2
दो.	**अनुरोध प्रस्तुत करना**		**3**
	क.	अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध कौन प्रस्तुत कर सकता है	3
	ख.	अनुरोधकर्त्ता की गोपनीयता	4
	ग.	अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध कैसे प्रस्तुत करे	4
	घ.	प्रारूप	4
	ङ.	भाषा	4
	च.	अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध की विषय–वस्तु	5
	छ.	वर्जित विषय	5
तीन.	**अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रिया**		**6**
	क.	प्रक्रियात्मक क्रम और समय सीमा	6
चार.	**उपचारी कार्यवाही**		**9**
	क.	उपचारी कार्यवाही के कार्यान्वयन पर निगरानी	9
	ख.	प्रारूप निगरानी रिपोर्ट	9
	ग.	निगरानी रिपोर्ट	9
पांच.	**अनुरोधकर्त्ता और तीसरे पक्ष की भागीदारी**		**10**
	क.	सूचना व्यवस्था	10
	ख.	संशोधित अनुरोध	10
	ग.	पूरक जानकारी	10
छ.	**पारदर्शिता और गोपनीयता**		**10**
	क.	पारदर्शिता	10
	ख.	गोपनीयता	10
सात.	**जानकारी को सार्वजनिक करना**		**11**
	क.	जनता को अवगत कराना	11
	ख.	प्रेस विज्ञप्ति और जन संचार	11
	ग.	वेबसाइट	11
	घ.	सार्वजनिक रजिस्टरी	11
	ड.	रिपोर्टों को सार्वजनिक जारी करना	12
आठ.	**सामान्य**		**12**
	क.	एशियाई विकास बैंक तक पहुंच : स्टाफ और जानकारी	12
	ख.	अनुपालन पुनरीक्षा पैनल की प्रशासनिक प्रक्रियायें	12
	ग.	वार्षिक रिपोर्ट	12
	घ.	कानूनी परामर्श	13
	ड़.	अनुपालन पुनरीक्षा पैनल की कार्यचालन प्रक्रिया की पुनरीक्षा	13
	च.	समन्वय	13
	छ.	अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को सचिवालय सहायता	13
	ज.	अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) और विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) से सम्पर्क	13

परिशिष्ट

1. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध का नमूना **15**

2. अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रियो **17**

एक. प्रस्तावना

क. एशियाई विकास बैंक की जवाबदेही व्यवस्था और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल

1. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank/ADB) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (Compliance Review Panel/CRP) हेतु संचालन प्रक्रिया इस प्रकार है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) एक स्वतंत्र फोरम है, जिसकी स्थापना 29 मई 2003 को एशियाई विकास बैंक (ADB) के निदेशक मंडल ने एशियाई विकास बैंक (ADB) जवाबदेही व्यवस्था के अनुपालन पुनरीक्षा संबंधी कार्यों के लिए की थी। 12 दिसम्बर 2003 से प्रभावी इस तंत्र के दो प्रक्रम हैं। (i) विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (Special Project Facilitator/SPF) के माध्यम से परामर्श संबंधी प्रक्रम कार्यान्वित करना, और (ii) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रम कार्यान्वित करना। यद्यपि, अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) और विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) का कार्य अलग–अलग है, किन्तु परियोजना प्रभावित लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने के प्रयोजन से दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।

2. नयी एशियाई विकास बैंक (ADB) जवाबदेही व्यवस्था की स्थापना के समय बोर्ड पेपर में दिये गये संचालनात्मक उपबंधों कोः ''रिव्यू आफ द इन्सपेक्शन फंक्शनः एस्टेबलिशमेंट आफ ए न्यू एडीबी एकाउन्टेबिलिटी मैकेनिज्म'' (आर 79–03, दिनांक 8 मई 2003) में इन संचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट और विस्तार से दिया गया है, ये प्रक्रियाएं बोर्ड के पेपर पर आधारित हैं और इसमें 29 अक्तूबर 2003 को जारी एडीबी जवाबदेही व्यवस्था संबंधी संचालन मैनुअल की धारा एल 1/बी.पी. और एल–1/ओ.पी. को ध्यान में रखा गया है। बोर्ड पेपर के पैरा 98 के अनुसरण में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) ने इन प्रक्रियाओं को अपना लिया है और वह उनमें यथा आवश्यक संशोधन कर देगा।

3. इस व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP):

- (i) एशियाई विकास बैंक (ADB) की विकास प्रभावकारिता को बढ़ायेगा और परियोजना की स्थिति में सुधार लायेगा;
- (ii) परियोजना प्रभावित लोगों की शिकायतों के प्रति जवाबदेह रहेगा और सभी पणधारियों (stakeholders) के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा;
- (iii) कर्मचारियों और संचालन में उच्चतम व्यावसायिक निपुणता और तकनीकी मानक प्रदर्शित करेगा;
- (iv) यथा संभव स्वतंत्र और पारदर्शी रहेगा; और
- (v) एशियाई विकास बैंक (ADB) में विद्यमान अन्य पर्यवेक्षण, लेखा परीक्षा, किस्म नियंत्रण और मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में कम खर्चीला, कुशल और एक दूसरे का पूरक बनेगा।

ख. संरचना और मूल बातें

4. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सभापति होता है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करता है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का सदस्य ऐसी अनुपालन पुनरीक्षा में भाग नहीं ले सकता जिस के संबंध में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का यह विचार हो कि उसमें उसका व्यक्तिगत हित निहित है अथवा उसमें उसकी प्रमुख रूप से पूर्व संलिप्तता रही है।

5. दो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्य क्षेत्रीय देशों से होते हैं जिनमें से कम से कम एक विकासशील देश से होता है। तीसरा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्य पड़ोसी देश से होता है। पहले तीन अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्यों में से एक कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। शेष दो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्य अल्प–कालिक होते हैं और वे तभी नियुक्त होते हैं जब अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के कार्यभार को निपटाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगी।

6. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) दो विशिष्ट क्रियाकलापों को छोड़कर सभी क्रियाकलापों के संबंध में सीधे बोर्ड को रिपोर्ट भेजती है और इनके संबंध में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (Board Compliance Review Committee/BCRC) को रिपोर्ट भेजती है। अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (i) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा प्रस्तावित विचारार्थ विषयों और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक अनुपालन पुनरीक्षा को पूरा करने के लिए अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा उन्हें जारी करने से पूर्व समय सीमा की स्वीकृति देता है, और (ii) बोर्ड द्वारा अनुपालन पुनरीक्षा के

परिणामस्वरूप स्वीकृत किसी भी उपचारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की निगरानी रिपोर्ट के प्रारूप की अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उसकी पुनरीक्षा करना। अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड का प्रस्तावित विचारार्थ विषयों को और समय सीमा को स्वीकृति देने का कार्य सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के प्रारूप निगरानी रिपोर्ट की पुनरीक्षा करेगा कि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) ने किसी भी उपचारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन की निगरानी में एक संतोषजनक प्रक्रिया का पालन किया है।

ग. प्रयोजन और कार्य क्षेत्र

7. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का उद्देश्य एक फोरम प्रदान करके एशियाई विकास बैंक की उसके कार्य संचालन में जवाबदेही बढ़ाना है, जिसमें परियोजना प्रभावित लोग (और विशेष मामलों में बोर्ड का सदस्य) एशियाई विकास बैंक के विरूद्ध अनुपालन पुनरीक्षा हेतु अनुरोध प्रस्तुत करके अपनी शिकायत भेज सकता है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) उन तथाकथित उल्लंघनों की जांच करता है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा किसी भी एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजनाओं में संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं में बरती गई हों। ऐसे मामले एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना[1] के निर्माण, कार्यचालन अथवा कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय लोगों पर प्रत्यक्ष, आर्थिक और प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित होते हैं।

8. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्धारित करेगा कि अनुपालन पुनरीक्षा के अन्तर्गत किसी विशेष परियोजना के संबंध में क्या एशियाई विकास बैंक ने अपनी संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है अथवा नहीं किया है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल इस बात की भी जांच करेगा कि अनुरोधकर्त्ता द्वारा जिस प्रत्यक्ष और आर्थिक हानि की शिकायत की गई है क्या वह एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा किसी परियोजना विशेष के निर्माण, कार्यचालन और/अथवा कार्यान्वयन के दौरान उसकी संचालन नीतियों के कथित रूप से असफल रहने के कारण हुई हैं।

9. अनुपालन पुनरीक्षा का कार्यक्षेत्र ''एशियाई विकास बैंक (ADB) की संचालनात्मक नीतियां और प्रक्रियायें हैं,'' क्योंकि इनका संबंध, निर्माण, कार्यचालन अथवा एशियाई विकास बैंक (ADB) से सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन से है और इसमें माल की खरीद और सेवाओं से संबंधित मामले सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें परामर्शी सेवाएं और गैर–संचालनात्मक, व्यवस्था संबंधी मामले सम्मिलित हैं, जैसे वित्त और प्रशासन जैसा कि इन प्रक्रियाओं के पैराग्राफ 26 में वर्णित है। इस प्रकार की संचालनात्मक नीतियां और प्रक्रियायें अक्तूबर 2003 में जारी संचालन मैनुअल (Operations Manual/OM) में सम्मिलित की गई थीं। परियोजना प्रशासन अनुदेश और नये कारोबार कार्यचालन को समय–समय पर अद्यतन बनाया गया है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संचालन संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं को तत्संबंधी संचालन मैनुअल खण्डों, स्टाफ अनुदेशों अथवा इस प्रकार के दस्तावेज़ के न होने की स्थिति में, संचालन मैनुअल खण्डों अथवा बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति और संचालन मैनुअल के किसी खण्ड पर विवाद की स्थिति में, नीति के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

10. किसी ऐसी परियोजना जिस पर कार्य चल रहा हो अथवा अक्तूबर 2003 में जारी मैनुअल को अद्यतन बनाये जाने से पूर्व स्वीकृत किया गया हो, उनमें संचालन संबंधी नीतियां और प्रक्रियाएं वही लागू होंगी जो बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई हैं, चाहे वह विद्यमान किसी संचालन मैनुअल (OM) में स्पष्ट रूप से शामिल की गई हों अथवा न की गई हों। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल अनुरोधकर्त्ता द्वारा अनुपालन पुनरीक्षा के लिए दी गई जानकारी के आधार संगत नीतियों और प्रक्रियाओं और संबंधित परिचालन विभाग (Operational Department/OD) और अन्य पणधारियों (stakeholders) से परामर्श करके निर्धारित करेगा।

11. अनुपालन पुनरीक्षा के अधीन परियोजना पर लागू होने वाली एशियाई विकास बैंक (ADB) संचालन संबंधी नीतियां और प्रक्रियायें इस प्रकार हैं:

---

[1] एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जो एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित है अथवा वित्त–पोषित होने वाली है, उसके नियंत्रण में है अथवा नियंत्रण में आने वाली है। इसके अन्तर्गत सरकारी और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों का संचालन आता है (जैसे परियोजना ऋण, कार्यक्रम ऋण, सेक्टर ऋण, तकनीकी सहायता–ऋण, वित्तीय मध्यवर्तीय ऋण, निवेश ऋण, गारंटी, साम्य–पूंजी निवेश और तकनीकी सहायता अनुदान) जो कि एशियाई विकास बैंक (ADB) की संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हों। एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना की परिभाषा के अन्तर्गत 'परियोजना संघटक' सम्मिलित हैं, इसका वित्त पोषण स्रोत चाहे एशियाई विकास बैंक (ADB) हो अथवा इसके सह–वित्तपोषक सरकार अथवा गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक। तथापि 'परियोजना संघटकों' के अंतर्गत वे संघटक और सुविधाएं नहीं आती हैं जो ऋण प्राप्तकर्त्ता, कार्य–निष्पादक एजेन्सी अथवा किसी परियोजना आयोजक के प्रभाव में नहीं हैं और इसके लिए प्रभावित लोगों के जोखिम का स्तर और उसमें एशियाई विकास बैंक (ADB) का स्तर मिला कर निर्धारित करने में एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा पूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए।

(i) प्रस्तावित परियोजना के मामले में उस समय की लागू नीतियां और प्रक्रियायें जब विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) को शिकायत भेजी गई हो; और

(ii) चालू परियोजना के मामले में वे नीतियां और प्रक्रियायें लागू होंगी जो परियोजना के निर्माण अथवा कार्यचालन के संबंध में बोर्ड द्वारा परियोजना स्वीकृत करते समय लागू थीं और वे जो उस समय लागू थीं जब परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा कथित कार्य अथवा भूल की गई हो।

12. ''प्रस्तावित परियोजना'' (Proposed Project) के अन्तर्गत वह परियोजना आती है जो तैयारी के चरण में है और उसे बोर्ड अथवा प्रेसीडेन्ट (बोर्ड द्वारा यथा प्रत्यायोजित) द्वारा अभी स्वीकृत नहीं की गई है और ''चालू परियोजना'' (Ongoing Project) का तात्पर्य उस परियोजना से है जो बोर्ड अथवा प्रेसीडेन्ट (बोर्ड द्वारा यथा प्रत्यायोजित) स्वीकृत कर दी गई है।

दो. अनुरोध प्रस्तुत करना

13. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने से पूर्व सभी संभावित अनुरोधकर्त्ताओं को (बोर्ड के सदस्य अतिरिक्त) पहले शिकायत विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) को प्रस्तुत करनी होगी और परामर्शी चरण में उनके मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। संभावित अनुरोधकर्त्ताओं को विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) संबंधी संचालन प्रक्रियाओं को देखना चाहिए, जिन्हें विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) अथवा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) से प्राप्त किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की वेबसाइट www.compliance.adb.org और विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) की वेबसाइट www.adb.org/spf पर भी उपलब्ध है। विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के पास अनुरोध प्रस्तुत करने के पश्चात अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के पास अनुरोध भेजा जा सकता है:

(i) जब कभी विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) द्वारा शिकायत को अयोग्य पाया जाए (परामर्श प्रक्रिया का क्रम 3); अथवा

(ii) जब शिकायतकर्त्ता को विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के निष्कर्ष और शिकायत का मूल्यांकन मिल जाए और यह निर्णय कर ले कि परामर्श प्रक्रिया से नहीं गुजरना है (परामर्श प्रक्रिया के क्रम 4 के अन्त में); अथवा

(iii) यदि शिकायतकर्त्ता पाता है कि परामर्श प्रक्रिया उपयोगी नहीं है (परामर्श प्रक्रिया का क्रम 5, 6 अथवा 7 पर); अथवा

(iv) यदि विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) द्वारा परामर्श चरण समाप्त कर दिया गया है अथवा क्योंकि अन्य पणधारियों (stakeholders) ने परामर्श प्रक्रिया छोड़ दी है।

14. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध करते समय परामर्श चरण का त्याग कर दिया जाता है अथवा अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है। तथापि कुछ मामलों में जहां पर शिकायतकर्त्ता को अनुपालन मामलों के संबंध में कोई चिन्ता है तो अनुरोधकर्त्ता कार्यवाही के दौरान किसी भी समय अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है (परामर्श प्रक्रिया का क्रम 7) और इसके लिए परामर्श प्रक्रिया का आवश्यक रूप से त्याग करना जरूरी नहीं है।

15. ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्त्ता, शिकायत पुनरीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है तो ऐसे में विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के साथ दस्तावेजों और जानकारी का आदान–प्रदान कर सकेगा जो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के साथ परामर्श चरण के दौरान पात्रता और तथ्यों का पता लगाने के समय एकत्र की गई हो। यदि विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) ने शिकायत की पात्रता रद्द कर दी है तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करेगा कि क्या उसके विचार से अनुपालन पुनरीक्षा के लिए किया गया अनुरोध अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है अथवा नहीं

क. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध कौन प्रस्तुत कर सकता है

16. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) ऋण प्राप्तकर्त्ता देश जहां पर एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना स्थित है अथवा ऋण प्राप्त कर्त्ता देश के पड़ोसी सदस्य देश में दो और दो से अधिक लोगों का कोई भी समूह (जैसे संगठन, एसोसिएशन, सोसाइटी, और व्यक्तियों का अन्य समूह);

(ii) प्रभावित समूह का स्थानीय प्रतिनिधि;
(iii) अपवादात्मक मामलों में गैर–स्थानीय प्रतिनिधि जहां स्थानीय प्रतिनिधि नहीं मिलता और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) इसके लिए सहमत हो; अथवा
(iv) प्रबन्धन से पहले अपनी चिन्ता व्यक्त करने के बाद बोर्ड का कोई भी एक अथवा एक से अधिक सदस्य, ऐसे विशेष मामलों में जिनमें एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त चालू परियोजना के संबंध में एशियाई विकास बैंक (ADB) की संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं का कथित रूप से घोर उल्लंघन हुआ हो और जिनका उस देश में रहने वाले समुदाय अथवा व्यक्तियों के अन्य वर्ग पर, जहां पर कि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा ऋण प्राप्तकर्त्ता देश के पड़ोसी सदस्य देश में रहने वालों पर प्रत्यक्ष, आर्थिक अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

17. अनुपालन पुनरीक्षा हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने पर परियोजना की रूपरेखा बनाने, उस पर कार्रवाई करने अथवा उसे कार्यान्वित करने को रोकने अथवा अन्यथा उस पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि विकासशील सदस्य देश (DMC) सरकार अथवा गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक कम्पनी और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा इस पर सहमति न हो जाए।

ख. अनुरोधकर्त्ता की गोपनीयता

18. यदि अनुरोधकर्त्ता ऐसा चाहता है तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोधकर्त्ता की पहचान गोपनीय रखेगा, किन्तु गुमनाम अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध कैसे प्रस्तुत करें

19. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध लिखित में किया जाना चाहिए और वह 'अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी' को सम्बोधित किया जाना चाहिए अनुरोध एशियाई विकास बैंक (ADB) मुख्यालय में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी के नाम डाक से, फैक्स से, इलैक्ट्रानिक मेल से अथवा दस्ती डाक से स्वीकार किये जायेंगे। फैक्स अथवा इलैक्ट्रानिक मेल से अनुरोध भेजने की स्थिति में कागज पर एक कापी अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी को रिकार्ड के लिए भी भेजी जानी चाहिए।

Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

टेली: +632 632 4149
फैक्स: +632 636 2088
ई मेल: crp@adb.org

20. अनुरोध किसी भी एशियाई विकास बैंक (ADB) कार्यालय जैसे रेजीडेन्ट मिशन, अथवा प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा भी प्राप्त किये जायेंगे जो बंद लिफाफे को अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी को भेज देंगे।

घ. प्रारूप

21. अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध के लिए किसी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं है। अनुरोधकर्त्ता परिशिष्ट में दिये गये नमूना फार्म को मार्गदर्शन के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

ड. भाषा

22. एशियाई विकास बैंक (ADB) की जवाबदेही व्यवस्था की कार्य करने की भाषा अंग्रेज़ी है, किन्तु यदि अनुरोधकर्त्ता अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह एशियाई विकास बैंक (ADB) के विकासशील सदस्य देशों की किसी भी शासकीय अथवा राष्ट्रीय भाषा में अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। यदि अनुरोध अंग्रेज़ी से इतर किसी अन्य भाषा में किया जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

च. अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध की विषय–वस्तु

23. अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध कैसे प्रस्तुत करें के बार में संभावित अनुरोधकर्त्ताओं को सलाह देने और उनके मार्गदर्शन के लिए अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP) उपलब्ध होगा।

24. अनुपालन पुनरीक्षा संबंधी अनुरोध में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। यदि अनुरोध में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है तो अनुरोध की पात्रता निर्धारित करने से पूर्व अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोधकर्त्ता से और अधिक जानकारी और दस्तावेज मांग सकती है:

- (i) कि अनुरोधकर्त्ता पर एशियाई विकास बैंक (ADB) की सहायता प्राप्त परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक दृष्टि से और उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ सकता है;
- (ii) कि अनुरोधकर्त्ता का दावा है कि उसे होने वाला प्रत्यक्ष और आर्थिक नुकसान एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं (विशिष्ट अथवा अन्यथा) के संचालन में कथित चूक के कारण हो रहा है जो एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना के निर्माण, कार्यचालन अथवा कार्यान्वयन के दौरान बरती गई हैं;
- (iii) प्रत्यक्ष और आर्थिक नुकसान का विवरण अर्थात् वे अधिकार और हित जिन पर एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना के कारण प्रत्यक्ष रूप से व आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो अथवा पड़ने की संभावना हो;
- (iv) अनुरोधकर्त्ता की पहचान और सम्पर्क सूचना इस अनुरोध के साथ यदि उसे गोपनीय रखने की आवश्यकता हो;
- (v) यदि अनुरोध किसी प्रतिनिधि के माध्यम से किया जा रहा है तो परियोजना प्रभावित व्यक्ति की पहचान, जिसकी ओर से अनुरोध किया जा रहा है और उनका प्रतिनिधित्व करने संबंधी अधिकार का प्रमाण;
- (vi) एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना का नाम और स्थान सहित संक्षिप्त विवरण;
- (vii) वे वांछित परिणाम अथवा उपाय जिन्हें परियोजना प्रभावित लोग चाहते हों कि अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रम के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ADB) को उन्हें दिया जाना चाहिए।
- (viii) अनुरोधकर्ता के प्रयासों के परिणामों का स्पष्टीकरण कि पहले उसने शिकायत विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के पास भेजी (अथवा यदि विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) ने उसे अयोग्य बता कर रद्द कर दिया है तो इस बात का स्पष्टीकरण कि उस पर अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अब भी क्यों विचार किया जाये);
- (ix) इस बात का स्पष्टीकरण कि उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी क्यों न दी जाये; और
- (x) कोई भी अन्य प्रत्यक्ष संगत मामला अथवा तथ्य, सहायक दस्तावेजों के साथ।

25. अनुपालन पुनरीक्षा संबंधी अनुरोध में अधिकतर वही जानकारी होती है जो विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के पास शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है। यह जानकारी इन प्रक्रियाओं के पैरा 24 (vii) और (viii) के अनुसार अपेक्षित है। यद्यपि अनुरोधकर्त्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने अनुरोध में किसी विशिष्ट नीति के कथित उल्लंघन का उल्लेख करे किन्तु वह किसी भी नीति के उल्लंघन का उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र है जो कि अनुरोधकर्त्ता के विचार से एशियाई विकास बैंक (ADB) की चूक से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वह एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं को न अपनाये जाने के कारण हुई है।

छ. वर्जित विषय

26. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) निम्नलिखित अनुरोधों को विचार के लिए नहीं ले सकताः

- (i) जो एशियाई विकास बैंक (ADB) – सहायता प्राप्त परियोजना के निर्माण, कार्यचालन, अथवा कार्यान्वयन में एशियाई विकास बैंक (ADB) के कृत्यों अथवा भूलों से संबंधित न हो;
- (ii) सामान की खरीद और सेवाओं जिसमें परामर्शी सेवाऐं भी शामिल हैं के संबंध में एशियाई विकास बैंक (ADB), ऋण प्राप्तकर्त्ता, निष्पादन एजेन्सी अथवा गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक द्वारा लिए गये निर्णयों के बारे में;
- (iii) एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना में और एशियाई विकास बैंक (ADB) स्टाफ पर धोखाधड़ी अथवा भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में;

(iv) एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त ऐसी परियोजना के बारे में जिसके संबंध में समापन रिपोर्ट[2] जारी कर दी गई है;

(v) ऐसे मामलों के संबंध में जिन पर पिछले निरीक्षण कार्य के दौरान अथवा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है तब तक जब तक कि कोई नया महत्वपूर्ण प्रमाण जो कि मूल शिकायत के समय उपलब्ध नहीं था, प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा तब तक, जब तक कि बाद वाली शिकायत को शिकायत के साथ मिला नहीं दिया जाता;

(vi) एशियाई विकास बैंक (ADB) की विद्यमान नीतियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और उपयुक्ता के संबंध में;

(vii) जिन्हें अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा गैर–महत्वपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, मामूली सा अथवा प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ कमाने वाला माना गया हो;

(viii) एशियाई विकास बैंक (ADB) की अपीलीय समिति अथवा एशियाई विकास बैंक (ADB) प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हो अथवा एशियाई विकास बैंक (ADB) के कार्मिकों से संबंधित मामले हों;

(ix) ऐसी कार्यवाही जो अन्य पक्षों से संबंधित हो, जैसे ऋण प्राप्तकर्त्ता, निष्पादक ऐजेंसी अथवा संभावित ऋण प्राप्तकर्त्ता, जब तक कि इन अन्य पक्षों का आचरण एशियाई विकास बैंक (ADB) के संचालन संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न हो;

(x) ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें अन्यथा एशियाई विकास बैंक (ADB) की संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन न करने से संबंधित कार्यवाही अथवा चूक सम्मिलित न हो;

(xi) निष्पादन एजेन्सी अथवा संबंधित विकासशील सदस्य देश (Developing Member Country/DMC) सरकार से संबंधित कानून, नीतियां और विनियम, जब तक कि वे एशियाई विकास बैंक (ADB) की संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न हो;

(xii) 29 मई से पूर्व अवधारणा स्वीकृति पाने वाले गैर–सरकारी क्षेत्र संबंधित परियोजना; और/अथवा

(xiii) जब कोई तद्नुरूपी शिकायत पहले विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के पास प्रस्तुत न की गई हो (यह बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त होने वाले अनुरोध पर लागू नहीं होता)।

27. इन प्रक्रियाओं के पैराग्राफ 26 (ii), (iii), और (viii) के अन्तर्गत किये गये अनुरोध के बारे में अनुरोधकर्त्ता को यह सूचित करेगा कि वह मामले को क्रमशः एशियाई विकास बैंक (ADB) के भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट, महालेखाकार का कार्यालय; एशियाई विकास बैंक (ADB) के सेन्ट्रल आपरेशन्स सर्विसेज कार्यालय; और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बजट, कार्मिक और प्रबन्धन प्रणाली को सम्बोधित करे।

तीन. अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रिया

क. प्रक्रियात्मक क्रम और समय सीमा

28. अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया क्रम और समय सीमा बनाई गई है (देखिए परिशिष्ट 2 पर फ्लोचार्ट)। इन संचालन प्रक्रियाओं में उल्लिखित सभी ''दिवस'' से अभिप्राय कैलेन्डर दिवस से है। किसी बोर्ड सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोध के अतिरिक्त, अनुपालन समीक्षा के सभी अनुरोध, परामर्श चरण के माध्यम से अपनी शिकायत पहले विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) को विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भेजनी होगी।

29. **क्रम 1: अनुरोध फाइल करना।** अनुपालन पुनरीक्षा हेतु अनुरोध अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के पास फ़ाइल किया जाता है।

30. **क्रम 2: अनुरोध दर्ज करना और उसकी पावती देना।** आवश्यक आरम्भिक जानकारी के साथ प्राप्त अनुरोध पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सात दिनों के भीतर निम्नलिखित कार्य करेगी:

---

[2] एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा परियोजना समापन रिपोर्ट परियोजना के वास्तविक रूप से पूरा हो जाने और कार्य आरम्भ हो जाने के 1–2 वर्ष के भीतर जारी कर दी जाती है। ग़ैर–सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में समापन रिपोर्ट जारी नहीं की जाती, उसकी निर्धारित तारीख परियोजना के वास्तविक रूप से पूरा हो जाने और उसमें कार्य आरम्भ हो जाने के दो वर्ष अथवा जहां वास्तविक समापन समाप्त कर दिया गया है अथवा संगत नहीं है (अर्थात् वित्तीय मध्यवर्ती परियोजनाएं) के मामले में अन्तिम भुगतान अथवा परियोजना में एशियाई विकास बैंक (ADB) के सम्मिलित होने की समाप्ति, जो भी पहले हो, की तारीख के बाद एक वर्ष है।

(i) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर में जो कि जनता को उपलब्ध हो सके, अनुरोध दर्ज करना;
(ii) अनुरोध की पावती देना;
(iii) बोर्ड को सूचित करना कि अनुरोध दर्ज कर लिया गया है; और
(iv) प्रेस के लिए सूचना जारी करना कि उसने अनुरोध दर्ज कर लिया है।

31. **क्रम 3ः अनुरोध की पात्रता निर्धारित करना।** पात्रता के संबंध में विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के निर्णय को ध्यान में रखे बिना अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुरोध उसके पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध दर्ज किये जाने के 14 दिन के भीतर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोध की पात्रता निर्धारित करेगा और अनुरोधकर्त्ता को अपना निर्णय सूचित करेगा। यदि विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) ने परामर्श प्रक्रम में शिकायत को अनुपयुक्त निर्धारित कर लिया है तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुपालन पुनरीक्षा हेतु अनुरोध दर्ज होने के 21 दिनों के भीतर अनुरोध की पात्रता निर्धारित करेगा।

32. यदि विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) ने यह पहले ही निर्धारित कर लिया है कि अनुरोध परामर्श प्रक्रम के लिए पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करता है तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध में अनुरोधकर्त्ता द्वारा प्रत्यक्ष और आर्थिक नुकसान का किया गया दावा एशियाई विकास बैंक (ADB) सहायता प्राप्त परियोजना की रूपरेखा बनाने, उस पर कार्रवाई करने अथवा उसके कार्यान्वयन के दौरान एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का कथित रूप से पालन न किये जाने के साथ जोड़ा जा सकता है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) शिकायत के संबंध में विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) से परामर्श प्रक्रम में मिली सभी सामग्री और विश्लेषण प्राप्त करेगा जिसमें विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड भी शामिल है।

33. यदि अनुरोधकर्त्ता किसी विशिष्ट नीति के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाता, तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोध का मूल्यांकन स्वयं यह निर्धारित करने के लिए करेगा कि क्या उसकी राय में अनुरोध में प्रमुख नीति उल्लंघन संबंधी मामला उठाया गया है। पात्रता प्रक्रम में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सभी पणधारियों (stakeholders) और प्रबन्धन मंडल, स्टाफ, अनुरोधकर्त्ता, निष्पादक एजेन्सी अथवा विकासशील सदस्य देश (DMC) सरकार अथवा गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक और संबंधित देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्य से परामर्श कर सकता है। पात्रता निर्धारण में डेस्क आधारित पुनरीक्षा और/अथवा स्थान का दौरा सम्मिलित है।

34. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अपनी पात्रता पुनरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजेगा। यदि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्धारित करता है कि अनुरोध स्वीकार करने योग्य नहीं है तो वह बोर्ड के अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में जानकारी देगा। यदि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्धारित करता है कि अनुरोध स्वीकार करने योग्य है तो वह बोर्ड को सिफारिश करेगा कि अनुपालन पुनरीक्षा को प्राधिकृत किया जाये। रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किया जायेगाः

(i) अनुरोध का स्वरूप और अनुरोधकर्त्ता द्वारा भेजी गई कोई सहायक जानकारी;
(ii) अनुरोध की पात्रता के संबंध में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के निष्कर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण; और
(iii) यदि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्धारित करता है कि अनुरोध उचित है तो यह सिफारिश कि अनुपालन पुनरीक्षा प्राधिकृत की जाए।

35. **क्रम 4ः अनुपालन पुनरीक्षा के संबंध में बोर्ड का प्राधिकार पत्र** । अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की सिफारिश प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर बोर्ड अनापत्ति के आधार पर और अनुरोध के गुण–दोषों पर निर्णय किये बिना अनुपालन पुनरीक्षा के लिए प्राधिकृत करेगा। बोर्ड से प्राधिकार पत्र मिलने के 7 दिनों के भीतर अनुरोधकर्त्ता को अनुपालन पुनरीक्षा के संबंध में बोर्ड के प्राधिकार संबंधी निर्णय के बारे में अवगत करा दिया जायेगा और उसके पश्चात् बोर्ड के निर्णय को अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की वेबसाइट पर भेज दिया जायेगा।

36. **क्रम 5ः अनुपालन पुनरीक्षा आरम्भ करना** । जैसे ही बोर्ड अनुपालन पुनरीक्षा के संबंध में प्राधिकार पत्र देता है, वैसे ही अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) पुनरीक्षा कार्यवाही आरम्भ कर देगा। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की पुनरीक्षा के लिए कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि इस पर लगने वाला समय परियोजना के स्वरूप, जटिलता और कार्यक्षेत्र और नीति के कथित उल्लंघन पर अलग–अलग हो सकता है। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अविलम्ब तरीके से पुनरीक्षा आरम्भ करेगा।

37. जैसे ही अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त होता है, अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का अध्यक्ष (i) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के एक सदस्य को पुनरीक्षा हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंप देगा; और (ii) सभी अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विचारार्थ विषय तैयार किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें पुनरीक्षा का कार्यक्षेत्र, तरीका और समय सीमा सम्मिलित होगी। अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) द्वारा तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा के लिए अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) बोर्ड द्वारा अनुपालन पुनरीक्षा हेतु प्राधिकार पत्र मिलने के बाद यथा संभव अतिशीघ्र अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को विचार के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) उन्हें जारी करने से पूर्व अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) से प्रस्तावित विचारार्थ विषय और समय सीमा स्वीकृत करायेगा। बोर्ड से पुनरीक्षण के लिए प्राधिकार पत्र मिलने के 14 दिनों के भीतर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) विचारार्थ विषय और समय सीमा जारी करेगा जिसमें पुनरीक्षा की विधि और उस पर लगने वाला संभावित समय दिया जाएगा। विचारार्थ विषय बोर्ड को और सभी पणधारियों (stakeholders) को भेज दिये जायेंगे और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिये जायेंगे।

38. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा की जाने वाली, पुनरीक्षा में अनुरोध के स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है:

(i) सभी पणधारियों (stakeholders), सम्बन्धित देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड सदस्यों और हितबद्ध गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना, जिसमें उन्हें अपने विचार रिकार्ड करने का अवसर दिया जाएगा;
(ii) एशियाई विकास बैंक (ADB) फाइलों की पुनरीक्षा करना;
(iii) अनुपालन पुनरीक्षा करते समय अपनी जांच के लिए स्थान का दौरा करना;
(iv) परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई करना;
(v) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों की सेवाएं लेना; और
(vi) अन्य कोई भी जांच विधि जिसे अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) कार्य करने के लिए उपयुक्त समझता है।

39. स्थान पर जा कर दौरा समाप्त करने से पूर्व अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) संबंधित देश अथवा गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक, जो भी उचित हो, की सहमति प्राप्त करेगा।

40. **क्रम 6: अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिपोर्ट.** अनुपालन पुनरीक्षा के पूरा होने पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अपने निष्कर्षों और सिफारिशों पर प्रबन्धन मंडल को एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसे अपनी टिप्पणी देने के लिए कहेगा।

41. **क्रम 7: अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिपोर्ट पर प्रबन्धन मंडल और अनुरोधकर्त्ता की प्रतिक्रिया.** प्रबन्धन मंडल और अनुरोधकर्त्ता दिनों अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिर्पोट होने के 30 दिनों तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रत्येक पक्ष प्रारूप रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु इन मामलों पर केवल अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के विचार ही अन्तिम रिपोर्ट में सम्मिलित किये जायेंगे।

42. **क्रम 8: अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट.** अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिपोर्ट पर प्रबन्धन मंडल और अनुरोधकर्त्ता से प्रतिक्रिया मिलने के 14 दिनों के भीतर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) उनकी प्रतिक्रियाओं पर विचार करेगा और बोर्ड को अन्तिम रिपोर्ट भेजने से पूर्व उनमें आवश्यक परिवर्तन करेगा और परियोजना अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उसमें अपने निष्कर्ष और सिफारिशें सम्मिलित करेगा, उसमें यदि उचित समझा जाये तो वे सिफारिशें भी सम्मिलित की जायें जो परियोजना के कार्यक्षेत्र अथवा कार्यान्वयन में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हों।

43. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) अनुरोध का विवरण, संगत तथ्य और अनुपालन पुनरीक्षा में उठाये गये कदम;
(ii) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के निष्कर्ष और सिफारिशें; और
(iii) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के निष्कर्षों और सिफारिशों में सहमति न होने की स्थिति में अधिसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के विचार।

44. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अपनी अन्तिम रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्नक जारी करेगी:

(i) प्रबन्धन मंडल और अनुरोधकर्त्ता से प्राप्त प्रतिक्रियायें; और
(ii) अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) से अनुरोध पर उपलब्ध होने वाले सहायक दस्तावेज़ों की एक सूची।

45. **क्रम 9: बोर्ड का निर्णय.** अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर बोर्ड रिपोर्ट पर विचार करेगा और किसी भी सिफारिश के संबंध में अंतिम निर्णय करेगा कि परियोजना अनुपालन किस तरह से किया जाये और/अथवा यदि उचित हो तो नुकसान को कैसे कम किया जाए। बोर्ड के निर्णय के 7 दिनों के अन्दर बोर्ड के निर्णय और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट संलग्न प्रतिक्रियाओं के साथ अनुरोधकर्त्ता के लिए जारी कर दी जाएगी और इसके पश्चात अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की वेबसाइट पर भेज दी जायेगी।

चार. उपचारी कार्यवाही

46. परियोजना के कार्यक्षेत्र अथवा कार्यान्वयन में बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोई भी कार्यवाही (अथवा यदि आवश्यक हो तो परियोजना निलम्बित अथवा रद्द करना) एशियाई विकास बैंक (ADB) की प्रक्रिया के अनुसार लागू की जायेगी (जिसके लिए ऋण प्राप्तकर्त्ता अथवा संबंधित अनुदान प्राप्तकर्त्ता अथवा संबंधित गैर–सरकारी परियोजना प्रायोजक की सहमति आवश्यक होगी। केवल उन्हीं मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी जिनके बारे में एशियाई विकास बैंक (ADB) के लागू होने वाले ऋण संबंधी विनियमों अथवा अन्य संगत कानूनी दस्तावेज में अन्यथा व्यवस्था है।

क. उपचारी कार्यवाही के कार्यान्वयन पर निगरानी

47. अनुपालन पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी भी उपचारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) निगरानी रखेगा। जब तक बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट समय सारणी निर्धारित नहीं की जाती तब तक बोर्ड यथा अपेक्षित समय पर रिपोर्ट देता रहेगा अथवा 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष बोर्ड को उपचारात्मक उपायों से संबंधित बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट करता रहेगा जिसमें परियोजना को अनुपालन में लाने के लिए उसके द्वारा निश्चित् की गई प्रगति दी गई हो। 5 वर्षों के पश्चात, यदि आवश्यक समझा जाये, तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) परियोजना पर और अधिक समय तक निगरानी रखने की सिफारिश कर सकती है। निगरानी के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल की जायेंगी:

(i) सबंधित पणधारियों (stakeholders) और बोर्ड के सदस्यों से परामर्श;
(ii) दस्तावेज़ पुनरीक्षा;
(iii) स्थल का दौरा; और
(iv) कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में अनुरोधकर्त्ता और जनता से प्राप्त कोई जानकारी।

ख. प्रारूप निगरानी रिपोर्ट

48. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP), अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को उसकी पुनरीक्षा के लिए एक प्रारूप निगरानी रिपोर्ट भेजेगा। अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) ऐसी रिपोर्ट मिलने के 21 दिनों के भीतर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के प्रारूप निगरानी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देगा। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) संबंधी पणधारियों और जनता को रिपोर्ट उपलब्ध कराने से पूर्व अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) से परामर्श करके रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा।

ग. निगरानी रिपोर्ट

49. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की निगरानी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किया जायेगा:

(i) मूल अनुरोध का सारांश और उस अनुरोध पर बोर्ड का कोई मूल निर्णय;
(ii) अनुरोधकर्त्ता, संबंधित पणधारियों अथवा अन्य किसी दूसरे पक्ष द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का सारांश;

(iii) बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के निष्कर्ष; और
(iv) परियोजना को अनुपालन में लाने के लिये अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा की गई अन्य कोई आवश्यक सिफारिश।

पांच. अनुरोधकर्त्ता और तीसरे पक्ष की भागीदारी

क. सूचना व्यवस्था

50. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोधकर्त्ता और सभी अन्य हितबद्ध पणधारियों को अनुपालन पुनरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ख. संशोधित अनुरोध

51. यदि अनुरोधकर्त्ता अनुपालन पुनरीक्षा के संबंध में बोर्ड के निर्णय से पहले अनुपालन पुनरीक्षा संबंधी अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद महत्वपूर्ण नये प्रमाण प्राप्त करता है, तो अनुरोधकर्त्ता संशोधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। यदि संशोधित अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) उन नये प्रमाणों को महत्वपूर्ण समझती है तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा उसकी पात्रता निर्धारित करने की समय सीमा पुनः उस तारीख से की जायेगी जिसको अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी को संशोधित अनुरोध प्राप्त हुआ है। अन्यथा उस प्रमाण को पूरक मान लिया जायेगा और उसे इन प्रक्रियाओं के पैरा 52 के अनुसार बताया गया माना जायेगा।

ग. पूरक जानकारी

52. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी के अतिरिक्त, अनुरोधकर्त्ता (और परियोजना प्रभावित लोग, यदि अनुरोधकर्त्ता उनका प्रतिनिधि है अथवा बोर्ड का सदस्य है), एशियाई विकास बैंक (ADB) स्टाफ अथवा जनता का कोई भी आदमी अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्यों, अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सेक्रेटरी अथवा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के एसोशिएट सेक्रेटरी को अनुपूरक जानकारी, जो उनके विचार से अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा अनुरोध की पुनरीक्षा के लिए संगत है, दे सकता है। जानकारी देने वाला व्यक्ति यह अनुरोध कर सकता है कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाये। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) इन व्यक्तियों द्वारा दी गई किसी नई सामग्री के बार में अनुरोधकर्त्ता को सूचित कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हो तो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) किसी भी पणधारी (stakeholder) से और ब्यौरा देने का अनुरोध कर सकता है।

छ. पारदर्शिता और गोपनीयता

क. पारदर्शिता

53. अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रम में सभी स्तरों पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के संचालन कार्य में यथासंभव एशियाई विकास बैंक (ADB) की संगत नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप पारदर्शिता होगी।

ख. गोपनीयता

54. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP) स्टाफ पर एशियाई विकास बैंक (ADB) के गोपनीयता और सूचना नीति के प्रकटन संबंधी नियम लागू होते हैं। इसमें वे उपबंध भी सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गोपनीय कारोबार और सूचना का प्रकटन न किया जाये। अनुरोध किये जाने पर अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) दावाकर्त्ता और अन्य पक्षों से जानकारी देने वालों की पहचान रोक सकता है।

55. किसी भी अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सदस्य अथवा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP) स्टाफ को दी गयी कोई भी सामग्री अथवा जानकारी, विशेष रूप से यह बताये जाने पर कि यह जानकारी गोपनीय है उसे प्रस्तुतकर्त्ता पक्ष

की सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष को नहीं बताया जा सकेगा। प्रस्तुतकर्त्ता पक्ष को यह नोट कर लेना चाहिए कि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा विषय वस्तु का सार तथा जानकारी अपने कार्य के निर्वहन में प्रयोग में लाई जा सकती है।

सात. जानकारी को सार्वजनिक करना

क. जनता को अवगत कराना

56. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के सदस्य और अनुपालन पुनरीक्षण पैनलों के कार्यालयों का स्टाफ सामान्य पहलुओं और विशेषकर अनुपालन पुनरीक्षण चरण से संबंधित मामलों पर एशियाई विकास बैंक (ADB) की जवाबदेही व्यवस्था, अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की गतिविधियों और अनुपालन पुनरीक्षण के लिए किसी भी भावी अनुरोध पर चर्चा करने के लिए लोगों से मुलाकात करने के अवसरों का स्वागत करते हैं। वे अनुरोध दायर करने वाले किसी भावी अनुरोधकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को परामर्श और मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध हैं। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल उन्हें देने के लिए सामग्री तैयार करेगा जिसमें इसकी गतिविधियां दी होंगी और भावी अनुरोधकों को परामर्श दिया होगा।

57. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल कार्यालय (OCRP) एशियाई विकास बैंक (ADB) में और सदस्य देशों में जवाबदेही व्यवस्था के बारे में सूचना का प्रचार करेगा और इसे जनता तक पहुंचाएगा।

ख. प्रेस विज्ञप्ति और जन संचार

58. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) अपनी प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया संचार जारी करेगा। समाचार विज्ञप्ति अथवा अन्य संचार जारी करने से पूर्व अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP) विदेश संबंध कार्यालय को सूचित करेगा और उसकी एक प्रति अध्यक्ष के कार्यालय को भेजेगा जिससे एशियाई विकास बैंक (ADB) को मीडिया अथवा जनता से प्रश्नों का उत्तर तैयार करने का अवसर मिल सके।

59. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुपालक पुनरीक्षण के संबंध में उधार लेने वाले देश में सक्रिय नहीं होता है और उधार लेने वाले देश में स्थान का दौरा करते समय पुनरीक्षण के बारे में मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता है। अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) प्रक्रिया संबंधी मामलों को स्पष्ट करने के सिवाय अनुपालन पुनरीक्षण के किसी चरण पर अथवा निर्णय लेने के बाद की निगरानी के दौरान मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देता है।

ग. वेबसाईट

60. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) का www.compliance.adb.org पर अपना वेबसाईट है जिसमें इन प्रक्रियाओं के पैराग्राफ़ 61 और 62 में सूचीबद्ध मद शामिल हैं।

घ. सार्वजनिक रजिस्ट्री

61. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) अनुपालन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुरोधक को प्रत्यक्ष और जनता को निम्नलिखित विशिष्ट उल्लेखों वाले अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) वेबसाइट में दर्ज अनुरोधों की रजिस्ट्री के माध्यम से अधिसूचित करेगा :

- (i) अनुरोध का पंजीकरण और प्राप्ति–सूचना (क्रम 2);
- (ii) अनुरोध की ग्राह्यता निर्धारित करना (क्रम 3);
- (iii) अनुपालन पुनरीक्षा के लिए बोर्ड की स्वीकृति (क्रम 4);
- (iv) कि विचारार्थ विषय और अनुपालन पुनरीक्षण करने के लिए समय सीमा का प्रारूप स्वीकृति के लिए अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को भेज दिया गया है (क्रम 5);
- (v) कि पुनरीक्षण करने के लिए अन्तिम विचारार्थ विषय और समय सीमा जारी कर दिए गए हैं और उपलब्ध हैं;
- (vi) कि अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) का प्रारूप प्रतिवेदन प्रबंधक और अनुरोधक को भेज दिए गए हैं (क्रम 6);
- (vii) कि अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी गई है (क्रम 8);

(viii) बोर्ड का निर्णय (क्रम 9);
(ix) कि अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) प्रॉजेक्ट के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखना आरम्भ कर रहा है जो पूर्व अनुरोध का विषय रहा था;
(x) अनुपालन पुनरीक्षण पैनल ने अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को अपनी प्रारूप निगरानी रिपोर्ट भेज दी है; और
(xi) अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) ने बोर्ड को अन्तिम निगरानी रिपोर्ट भेज दी है और कि यह जनता के लिए उपलब्ध है।

ड़. रिपोर्टों को सार्वजनिक जारी करना

62. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) अपने वेबसाइट पर और किसी भी व्यक्ति को जो इसकी प्रति के लिए अनुरोध करेगा, निम्न रिपोर्ट अथवा दस्तावेज उपलब्ध करायेगाः

(i) अनुपालन पुनरीक्षण की स्वीकृति देने के बोर्ड के निर्णय की प्राप्ति से 7 दिन में ग्राह्यता पर अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की रिपोर्ट और बोर्ड का निर्णय;
(ii) अनुपालन पुनरीक्षण की बोर्ड की स्वीकृति की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर विचारार्थ विषय और पुनरीक्षण का क्षेत्र, प्रस्तावित कार्यविधि और समय सीमा;
(iii) बोर्ड के निर्णय के 7 दिन के भीतर बोर्ड का अन्तिम निर्णय और किसी भी संलग्न दस्तावेज के साथ अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट;
(iv) अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की उस समय निगरानी रिपोर्ट जब उन्हें बोर्ड और अन्य पणधारियों को दिया जाता है; और
(v) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद 4 महीने में अनुपालन पुनरीक्षण पैनल की रिपोर्ट।

आठ. सामान्य

क. एशियाई विकास बैंक (ADB) तक पहुँचः स्टाफ और जानकारी

63. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) के सदस्य और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP) स्टाफ एशियाई विकास बैंक (ADB) के स्टाफ और प्रबंधन से संपर्क कर सकता है और एशियाई विकास बैंक के सब रिकार्ड्स जो अनुपालन पुनरीक्षण पैनल अपने आदेश के अन्तर्गत सुसंगत समझे, देख सकते हैं।

ख. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की प्रशासनिक प्रक्रियायें

64. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) ने अपने आन्तरिक कार्य के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपनाई हैं। यह प्रशासनिक प्रक्रियाएं अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) के वैबसाईट पर उपलब्ध हैं।

ग. वार्षिक रिपोर्ट

65. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद 4 महीनों में एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा जिसमें निम्न दिया होगाः

(i) विचार किए गए अनुरोधों का ब्यौरा;
(ii) प्रत्येक अनुरोध के उत्तर में अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की गतिविधियों का सारांश;
(iii) अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की निगरानी गतिविधियों का सारांश;
(iv) अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) के बजट और व्यय के बारे में जानकारी; और
(v) अनुपालन पुनरीक्षण के लिए पहले के अनुरोधों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित नीति संबंधी परामर्श।

घ. कानूनी परामर्श

66. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) एशियाई विकास बैंक (ADB) के चार्टर के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक (ADB) का कानूनी दर्जा, अधिकार तथा दायित्व से संबंधित किसी भी मामलों पर और किसी भी करार जिसमें एशियाई विकास बैंक (ADB) एक पार्टी है और अनुपालन पुनरीक्षण के लिए किसी अनुरोध के संबंध में एशियाई विकास बैंक के अधिकार और दायित्व से संबंधित किसी भी अन्य मामलों पर एशियाई विकास बैंक (ADB) के महाधिवक्ता से परामर्श लेगा।

ड़ अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की कार्यचालन प्रक्रिया की पुनरीक्षा

67. कोई भी रूचि रखने वाली पार्टी इन प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण के लिए सुझाव अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) को भेज सकती है। अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) बोर्ड के पेपर के प्रावधानों के अनुरूप ग़ैर सरकारी क्षेत्र की प्रॉजेक्ट की अनुपालन पुनरीक्षण की प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को समायोजित करने के साथ इन प्रक्रियाओं का समय–समय पर पुनरीक्षण कर सकती है।

च. समन्वय

68. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) किसी अन्य सहवित्तीय संस्था, जो उसी प्रॉजेक्ट की पृथक पुनरीक्षा कर रही है को जवाबदेही व्यवस्था के साथ, जितना उचित हो सकता है, अपनी गतिविधियों को समन्वित करेगा। अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अन्य उसी जैसी संस्थाओं की जवाबदेही व्यवस्था के संबंध में उनके साथ संबंध बनायेगा और उनके साथ अनुभवों का आदान–प्रदान करेगा तथा सबक सीखेगा।

69. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के साथ मिलकर अपने–अपने कार्यों के अनुरूप काम करते हैं। अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) जनता को एशियाई विकास बैंक के उत्तरदायित्व तंत्र तक ले जाने में विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के साथ समन्वय करेगा; और परिचालन विभागों, क्षेत्रीय और सतत विकास विभाग और उसके गैर–सरकारी संगठन (NGO) सेन्टर और विदेश संबंध कार्यालय के साथ मिलकर काम करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) की जानकारी प्रसार और जनता तक पहुंचने की गतिविधियाँ सिविल सोसाइटी ग्रुपों सहित प्रॉजेक्ट लाभग्राहियों अथवा पणधारियों के साथ आपसी बातचीत बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) की अन्य गतिविधियों के साथ एकीकृत हों।

छः अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को सचिवालय सहायता

70. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल का कार्यालय (OCRP), अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) को सचिवालयीय सहायता देता है जिसमें अनुपालन पुनरीक्षा समिति बोर्ड (BCRC) का वार्षिक परिचालन व्यय शामिल है।

ज. अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) और विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) से संपर्क

71. अनुपालन पुनरीक्षण पैनल (CRP) अथवा इन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित को भेजे जाने चाहिए:

Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

टेली: +632 632 4149
फैक्स: +632 636 2088
ई मेल: crp@adb.org

72. विशेष परियोजना फैसिलिटेटर (SPF) के परिचालन अथवा इसकी परिचालन प्रक्रियाओं के संबंध में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित को भेजे जाने चाहिए:

Special Project Facilitator
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

टेली: +632 632 4825
फैक्स: +632 636 2490
ई मेल: spf@adb.org

अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध का नमूना

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को भेजे जाने वाले अनुरोध का नमूना जिसमें ऐसी जानकारी दी गई है जिसे अनुरोधकर्त्ता को एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा अनुपालन की पुनरीक्षा करने के लिए भेजे जाने वाले पत्र में दी जानी चाहिए, नीचे दे रहे हैं। इस पद्धति का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है, परन्तु इस जानकारी को भेजने से अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध को दर्ज करने के कार्य में तेजी आएगी। कुछ जानकारी पहले ही विशेष प्रॉजेक्ट फैसिलिटेटर (SPF) को भेज दी गई होगी और यहां उनकी केवल पुनरावृत्ति की जा सकती है। अतिरिक्त जानकारी यथासंभव अधिक से अधिक विस्तार से दी जानी चाहिए और नीति उल्लंघनों की पहचान से अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को अनुपालन पुनरीक्षा में सहायता मिलेगी।

इस अनुरोध की तारीखः ___________________

सेवा में: Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

टेली: +632 632 4149
फैक्स: +632 636 2088
ई मेल: crp@adb.org

प्रिय सेक्रेटरी,

हम, जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, में रहते हैं, यहां रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चाहते हैं कि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) निम्न उल्लिखित परियोजना के संबंध में एशियाई विकास बैंक (ADB) की अपनी ही नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करके हमारी सहायता करे। हम अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के कार्यचालन प्रक्रियाओं से परिचित हैं और समझते हैं कि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सबसे पहले यह जांच करेगा कि क्या यह अनुरोध पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता है।

परियोजना, जिससे हमें नुकसान हुआ है अथवा भविष्य में हमें नुकसान होने की संभावना है, का नाम है __________, जो __________ में स्थित है।

हमारा मानना है कि एशियाई विकास बैंक (ADB) विशेषकर _________ के संबंध में अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं के अनुपालन में असफल रहा है और इस से हमें और महत्त्वपूर्ण नुकसान हुआ है अथवा होगा जिसका हम ब्यौरा दे सकते हैं। नीति संबंधी इन उल्लंघनों से हुआ विशिष्ट नुकसान है _________

हम चाहते हैं कि एशियाई विकास बैंक (ADB) इस नुकसान का निम्नलिखित तरीके से _________ समाधान करने में सहायता करे।

हमने अपनी शिकायतों को पहले भी बैंक अधिकारियों और विशेष प्रॉजेक्ट फैसिलिटेटर (SPF) के पास उठाने का प्रयास किया है। इस संबंध में जो हुआ उसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार हैः ________ । हम अपनी शिकायत अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को भेज रहे हैं क्योंकि पहले किए गए संपर्क के परिणाम निम्नलिखित तरीके से अंतोषजनक रहे ________ ।

पहले ही उपलब्ध की गई उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त ऐसे विभिन्न दस्तावेज़ हैं जो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को हमारी स्थिति समझने में सहायता करेंगे। हम उन दस्तावेज़ों की सूची संलग्न कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) कहां से उनकी प्रतियों को प्राप्त कर सकता है।

हमारे नाम, पते और संपर्क संबंधी जानकारी नीचे दी गयी हैं।

____________________ _________________________

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

[प्रत्येक व्यक्ति का उपलब्ध पता, टेलीफोन, फैक्स संख्या और ई–मेल]

उन स्थितियों में, जहाँ हम किसी संगठन अथवा लोगों के एक बड़े ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया नीचे दिए गए व्यक्ति जिसका पता और सम्पर्क संबंधी जानकारी भी दी गयी है, के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए।

अनुपालन पुनरीक्षा प्रक्रिया

क्रम 1: अनुरोध फाइल करना
- अनुपालन पुनरीक्षा के लिए अनुरोध अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) को किया जायेगा।

↓

अनुरोध की प्राप्ति से 7 दिन बाद

क्रम 2: अनुरोध को दर्ज किया जाना और उसकी प्राप्ति सूचना भेजना
- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोध को अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और इसकी प्राप्ति सूचना भेजेगा ।

↓

अनुरोध दर्ज करने से 14 दिन बाद (यदि विशेष प्रॉजेक्ट फैसिलिटेटर (SPF) ने यह निर्णय किया है कि शिकायत अग्राह्य है तो अनुरोध दर्ज करने से 21 दिन बाद)

क्रम 3: अनुरोध की ग्राह्यता का निर्धारण करना
- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अनुरोध की ग्राह्यता निर्धारित करेगा और अनुरोधकर्त्ता को अपना निर्णय सूचित करेगा ।
- यदि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्णय करता है कि अनुरोध की अग्राह्यता सूचित करेगा।
- यदि अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) यह निर्णय करता है कि अनुरोध ग्राह्य है तो वह बोर्ड को सिफारिश करेगा कि अनुपालन समीक्षा अधिकृत की जाए।

↓

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की सिफारिश की प्राप्ति से 21 दिन बाद

क्रम 4: बोर्ड द्वारा अनुपालन पुनरीक्षा के लिए स्वीकृति दिया जाना
- बोर्ड अनापत्ति आधार पर अनुपालन समीक्षा की स्वीकृति देगा ।

↓

बोर्ड के निर्णय की प्राप्ति से 7 दिन बाद

- अनुरोधकर्त्ता को बोर्ड का अनुपालन पुनरीक्षा की स्वीकृति का निर्णय सूचित किया जाएगा।

↓

अनुपालन पुनरीक्षा के लिए बोर्ड की स्वीकृति प्राप्ति से 14 दिन बाद

क्रम 5: अनुपालन पुनरीक्षा कराया जाना
- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) प्रस्तावित विचारार्थ विषय (TOR) और समय सीमा को बोर्ड अनुपालन पुनरीक्षा समिति (BCRC) के साथ मिलकर स्वीकृति देगा।
- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) विचारार्थ विषय और समय सीमा जारी करेगा जिसमें समीक्षा का तरीका और अनुमानित अवधि दी गई होगी।

↓

- अनूपालन पूनरीक्षा पैनल (CRP) पूनरीक्षा करेगा।

↓

क्रम 6: अनुरोध पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिपोर्ट

- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) अपनी समीक्षा पूरी करने पर अपने निष्कर्ष और सिफारिशों पर प्रारूप रिपोर्ट प्रबंधन और अनुरोधकर्त्ता को टिप्पणी करने के लिए जारी करेगा।

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) प्रारूप रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिन बाद

क्रम 7: अनुरोध पुनरीक्षा पैनल (CRP) की प्रारूप रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया और अनुरोधक की प्रतिक्रिया

- प्रबंधन और अनुरोधक अनुपालन पुनरीक्षा पैनल की प्रारूप रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे।

प्रबंधन और अनुरोधक से प्रतिक्रिया मिलने से 14 दिन बाद

क्रम 8: अनुरोध पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट

- अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) प्रबंधन और अनुरोधक की प्रतिक्रियाओं पर विचार करेगा और परियोजना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ अपनी अन्तिम रिपोर्ट बोर्ड को भेजने से पूर्व जहां आवश्यक हुआ वहां परिवर्तन करेगा।

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति से 21 दिन बाद

क्रम 9: बोर्ड का निर्णय

- बोर्ड अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) की अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करेगा और किसी भी सिफारिशों के संबंध में अन्तिम निर्णय करेगा कि परियोजना पर अनुपालन किस प्रकार कराया जाए और/अथवा यदि उचित हुआ, किसी भी नुकसान को कैसे कम किया जाए।

बोर्ड के निर्णय से 7 दिन बाद

- बोर्ड का निर्णय और अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का अन्तिम प्रतिवेदन संलग्न प्रतिक्रियाओं के साथ अनुरोधकर्ता को जारी किया जाएगा।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपचारी कार्रवाई के कार्यान्वयन की निगरानी